संख्या-33/2026/202के-2/22-3-2024-17(1338)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषयः- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खालिद पुत्र श्री जमीलउददीन, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खालिद पुत्र श्री जमीलउददीन, बनी सराय, थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। ट्राली खाली न होने के विवाद में गाली दिये जाने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.1990 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर सरफराज नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय वाद में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.06.2003 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रिवाल्वर व रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। प्रथम वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-82/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 25.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। द्वितीय वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-668/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, मेरठ के आदेश दिनांक 04.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित इस शर्त के साथ किया गया कि बन्दी द्वारा 20 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी किये जाने तक रिमिशन का पात्र नहीं होगा। बन्दी द्वारा दिनांक 19.07.2023 तक प्रथम वाद में 18 वर्ष, 10 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा एवं द्वितीय वाद में 20 वर्ष 23 दिन की अपरिहार की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 63 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनःअपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी खालिद पुत्र श्री जमीलउददीन को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खालिद (बन्दी संख्या-1780/2005) पुत्र श्री जमीलउददीन, निवासी जनपद-मेरठ को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-33/2026/202के-2/22-3-2024-17(1338)/2023

दिनांक 27 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खालिद पुत्र श्री जमीलउददीन, बनी सराय, थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। ट्राली खाली न होने के विवाद में गाली दिये जाने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.01.1990 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पिस्तौल से गोली मारकर सरफराज नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय वाद में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.06.2003 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, रिवाल्वर व रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। प्रथम वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-82/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 25.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। द्वितीय वाद में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-668/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, मेरठ के आदेश दिनांक 04.08.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित इस शर्त के साथ किया गया कि बन्दी द्वारा 20 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी किये जाने तक रिमिशन का पात्र नहीं होगा। बन्दी द्वारा दिनांक 19.07.2023 तक प्रथम वाद में 18 वर्ष, 10 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा एवं द्वितीय वाद में 20 वर्ष 23 दिन की अपरिहार की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 63 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन:अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी खालिद पुत्र श्री जमीलउददीन को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।